

[भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) मेंप्रकाशनार्थ]

भारतसरकार

वित्तमंत्रालय

राजस्वविभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 30/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 04.08.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित केद्वारा संशोधित, के अनुसरण मेंमहानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 28/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 24.06.2020, का.आ. 2229 (अ) दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रकाशित,में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.5 के स्तंभ सं.3 में मौजूद प्रविष्टि को "फ़ा.सं. DRI/MZU/CI/Int-77/2018 दिनांक 30.04.2020, दिनांक 23.06.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय"से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फ़ा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-16/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय,दूसरा तल, न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट,मुंबई
2. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि नोटिसको इस अधिसूचना के संदर्भ मेंसूचित करें।